

**Part XXIII—RELATION BETWEEN OFFICERS AND MEMBERS
OF PARLIAMENT/STATE LEGISLATURE—Arrest/Detention of
M. Ps. / M.L. As.MLCs—Assembly & Council Questions etc.**

क्रम सं०	विषय	परिपत्र सं० एवं दिनांक	पृ० सं०
1.	T. A. of the official staff of Ministers, Deputy Ministers and the Presiding Officers of the Legislature, while going out on private work.	III / LA-205 / 53A-10320 Dt. 25th Nov. 1953.	569
2.	Laying of copies of questions and answers on the table of Assembly in case the question is not reached.	III / L3-3031/56A-5293 Dt. 16th May, 1956.	570
3.	-do- -do-	III / L3-302 / 58A-4204 Dated 10th April, 58.	571-572
4.	Precedure to be followed by the District Officers & other field officers in dealing with the orders passed direct to them by Ministers.	III / R1-205 / 57AR-128 Dated 18th August, 1958.	573
5.	Materials for answering Assembly & Council Questions.	C/S / L2-2077 / 58-10062 dt. 19.11.58.	574
6.	Complaint against Govt. Officials by M. L. A.s & public men.	II/3 - 40105 / 59 A- 7189, Dated 20th May, 1959.	575-576
7.	Government circular regarding seeking of information by the committee on Estimates.	Memo No. A 8645 dt. 23.6.59	577
8.	Precedure to deal with Assembly & Council Questions when the subject matter does not concern the Department in which the question was received.	III / L2-104 / 61A- 2726 Dated 24 th Feb. 1960	578
9.	Assembly & Council questions not relating to affairs of the State Government.	III/L2-104/60A-6204 Dated 6th May, 1960.	579
10.	विधान सभा एवं विधान परिषद् के प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब ।	CS/L2-106/61-1290. Dt. 13th March, 1961.	580-581
11.	Arrest, detention etc, of members of Parliament and of the Bihar Legislature,	III/L3-101/61-5433 Dated 26th April, 1961,	582-583

12. विधान सभा एवं विधान परिषद् के पूछे गये प्रश्न जो राज्य सरकार की सीमा के बाहर हैं।	III/L3-301/63A-4903 Dated 16th April. 63.	584
13. Arrest, detention etc. of members of Parliament and of the State Legislature.	Memo No. 5888A. Dt. 7th May, 63.	585-588
14. Arrest, detention etc. of members of Parliament and of the State Legislature.	III/L5-104/53A-11469. Dated 16th Sept. 1963.	589
15. Observation of courtesies in dealing with members of Parliament & of State Legislature.	II/M1-1027/64A-10115. Dated 25th Aug. 1964.	590-593
16. Supply of information required by members of Legislature & of the Parliament.	III/M1-5022/64-2032A, dt. 11.2.67., 7017 dt. 15.6. 64, 5177 dt. 20.4.63, 12912 Dated 10.9.62, AR-470 dt. 23. 7. 53.	594-597
17. विधान मंडल के सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचनाओं की आपूर्ति।	III/M1-5039/67A-14299 Dt. 25 Sept. 1967	598
18. संसद सदस्यों की गिरफ्तारी तथा नजरबंदी के सम्बन्ध में।	Memo No. 3199 dt. 1st. July, 68	599-604
19. विधान मण्डलीय मामलों का समुचित एवं शीघ्र निष्पादन	CS1/L1-409/72-2054 Dated 30th May, 1972	605-606
20. प्रशासन तथा संसद और राज्य के विधान मण्डलों के सदस्यों के बीच सरकारी काम-काज, उचित विधि के अनुपालन के सम्बन्ध में अनुदेश।	III/L5-101/75k. 8701. dt. 17th May, 1975.	607-612

Part XXIV - Relaxation of Rules in cases of Exceptional hardship.

1. Relaxation of Rules in case of undue hardship in any particular case.	Notification No. III/R1-2010/55 A-11505 dt. 28th Nov. 1956.	613
2. Relaxation of Rules in certain cases of exceptional hardship.	Memo no. III/R1-3031/59A-14813. dt. 20th Nov., 1959.	614
3. Relaxation of statutory rules in certain cases of exceptional hardship.	Memo no. III/R1-1049/61A-10270. dt. 25th July, 1962.	615

Part XXV—Resettlement /Rehabilitation.

पृष्ठ सं०

1. Resettlement in Govt. service of State Govt. employees discharged on account of affliction with T. B.	Memo no. A/ 156. dt. 11th Feb., 1956.	616
2. Resettlement in Govt. service of the State Govt. employees discharged on account of affliction with pleurisy.	Memo no. III/R1-2022/56A-2382. Dated 2nd March, 1957.	617
3. Resettlement in Govt. service of the State Govt. employees discharged on account of their affliction with LEPROSY.	Memo no. III/R1-2028/58A-13409. Dated 11th Nov., 1958,	617
4. Rehabilitation of displaced persons of Pakistan and the repatriates of Burma & Cylone.	Memo no. III/R1-305/68A-2872. Dated 24th February, 1969.	618

Part XXVI (A)— Schedules Castes/Tribes—Reservation in Govt. Services.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण ।

१. प्रोन्नति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण में आरक्षण की व्यवस्था ।	५९४ दि० ४-८-७८	619
२. हरिजनों एवं आदिवासियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में हुई गड़बड़ी पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कामिक विभाग में पदाधिकारियों की कमिटी का गठन ।	५६३ का० ३-८-१९७८	620-621
३. सामान्य जाति के पदाधिकारियों की प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि में छूट नहीं देने के सम्बन्ध में ।	५८२ का० ३-८-१९७८	621-622
४. मार्च, १९७४ से मार्च, १९७७ तक आंदोलन में सम्मिलित व्यक्तियों की नौकरियों, प्रशिक्षण तथा रोजगारों में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में ।	५८१ का० ३-८-१९७८	622-623
५. शिकायत पत्र की प्राप्ति के आधार पर विशेष परिस्थिति में आयुक्त, अनु० जाति / जन-जाति द्वारा मूल अभिलेखों तथा कामजातों की मांग करने तथा अनुसूचित जाति / जन-जाति के सरकारी कर्मचारी को उनसे सीधे पत्राचार करने के सम्बन्ध में ।	२५८ का० २८-४-७८	624
६. अनु० जातियों तथा जन-जातियों के लिए सेवा आरक्षण में अपनी रक्तियों एवं चालू वर्ष में रक्तियों को भरे जाने में किसी उच्चतर सीमा का प्रतिबन्ध न होना ।	४२७ का० २३-६-७८	625

- e. Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services—Carry forward of unfilled reservations—No higher limit for normal reservations and carry forward reservations with reference to total vacancies in a year. Govt. of India. No. 36017/6/77. Etst. (cst) dated 1. 4. 78. & 27. 12. 77 626-627
८. सर्वोपेक्षित पिता और अनुसूचित जाति की माता से उत्पन्न संतान की जाति का निर्धारण। ६६ का० ३-३-७८ 628
९. शिकायत-पत्र की प्राप्ति के आधार पर विशेष परिस्थिति में आयुक्त, अनुसूचित जाति/जन-जाति द्वारा भूख अभिलेखों तथा कामजातों की मांग करने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सरकारी कर्मचारी को उनसे सीधे पत्राचार करने के सम्बन्ध में। ५१८ का० २१-१२-१९७७ 629
१०. सरकारी सेवाओं के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति के लिए विज्ञापन की प्रति मान्यता-प्राप्त अनुसूचित जाति/जन-जाति सभी संस्थानों तथा विधान सभा सदस्यों एवं संसद-सदस्यों को भेजने के सम्बन्ध में। ५१७ का० २१-१२-७७ 630
११. अनुसूचित जातियों / जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की आकाशवाणी के माध्यम से घोषणा। ५१७ का०—२८-१०-१९७७ 631-638
१२. बिहार के सम्पूर्ण राज्य में रहनेवाले मोरियारी जाति को पिछड़ी जाति अनुसूची-१ में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में। २४० का०—१२-८-१९७७ 639-640
१३. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति सम्बन्धी सेवा आरक्षण का कार्यान्वयन करने के लिए जिला मुख्यालय के विभिन्न विभागों में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए कार्मिक विभाग के अधीन एक प्रवर्तन यंत्र (Enforcement machinery) की स्थापना तथा उसके लिए एक विशेष पदाधिकारी के पद का सृजन। २३४ का०—१७-८-७६ 641-642
१४. किसी विशेष क्षेत्र अथवा पद पर अनुभव सम्बन्धी अपेक्षा अनु० जातियों / अनु० जन-जातियों के उम्मीदवारी के मामले में छूट देने के प्रश्न। १०६३३ का०—२२-५-७६ 643-644
१५. अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रतिवेदन का अनुपालन। ४९१९ का०—४-३-१९७६ 645
१६. पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की समीक्षा। २१२६६ का०—२५-११-१९७५ 645-646
१७. राजपवित पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए चयन समिति के सम्बन्ध में। १९६१ का०—२७-१-१९७६ 646-647
१८. सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में अनु० जाति / अनु० जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं में एवं पदों में सुरक्षा के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ४६९ दि० १२-१-७१ एवं ४६११ दि० ११-३-७२ में दिये गए आदेश से सम्बद्ध अनुपूरक अनुवेद। २०१६५ का०—११-८-१९७५ 647-648

१९. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुपालन के लिए सम्पर्क पदाधिकारी की नियुक्ति । १२९७८ का०—२२-७-१९७५ 649
२०. अनुसूचित जाति / जन-जाति सम्बन्धी सेवा आरक्षण का कार्यान्वयन करने के लिए जिला मुख्यालय के विभिन्न विभागों में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए पदाधिकारीदल के गठन का प्रस्ताव । १०२६१ का०—१२-६-७५ 650-651
२१. हरिजन एवं आदिवासी के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण (रिजर्वेशन) प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य से कुछ अन्य विशेष सुविधायें । १०१३२ का०—१०-६-७५ 652
२२. सभी राजपत्रित पदाधिकारी की सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में कामिक विभाग की पूर्ण सहमति अपेक्षित । ७७७७ का०—१-५-१९७५ 653
२३. राज्य सरकार की सेवाओं के सभी सम्बन्धों के आरक्षित पदों पर अनु० जाति/अनु० जन-जाति की नियुक्ति के सम्बन्ध में । ७५०१ का०—२६ अप्रैल, १९७५ 654-656
२४. गोड़ जाति को मिलने वाली सुविधा के सम्बन्ध में । ४०१ का०—१४-६-१९७८ 657
२५. आदिवासियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञापन रांची से प्रकाशित पत्र 'हलधर' एवं 'रांची एक्सप्रेस' द्वारा विज्ञापित कराने के सम्बन्ध में । ३३९ का०—३१-५-७८ 658
२६. विभिन्न विभागों में आरक्षण सम्बन्धी कार्य की देखरेख हेतु हरिजन/आदिवासी विधायकों की समिति का गठन । २७५ का०—११-५-७८ 659-662
२७. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के लिए विभिन्न सेवाओं एवं पदों में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक नियोजन समिति का गठन । २८५ का०—२१-६-१९७६ 663-664
२८. अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिये जपुन समिति के सम्बन्ध में । १८६१ का०—२७-१-७६ 664-665
२९. स्वायत्त संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में हरिजन/आदिवासियों के लिए पदों का आरक्षण (विगत मन्त्रिपरिषद के दिनांक २९ अप्रैल, १९७५ की बैठक में सरकार द्वारा गठित स्वायत्त संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अनु० जाति एवं अनु० जन-जाति के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय) १०२६२ का०—१२-६-७५ 666
३०. हरिजन एवं आदिवासियों के लिए सरकार के अधीन नितांत अस्थाई पद (कार्यभारित स्टाफ तथा दैनिक मजदूरी और मासिक मजदूरी पाने वाले स्टाफ) का आरक्षण । ४११६ का०—१३-३-७५ 667-668
३१. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए सेवा में आरक्षण । ४६१८ का०—१३-३-७५ 668

३२. आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के उल्लंघन के लिए सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई।	४६१७ का०—१३-३-७५	669
३३. आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल के अनु० जाति के सदस्यों को सूचना देने के सम्बन्ध में।	३३६० का०—२२-२-७५	670
३४. ऐसी ऐच्छिक संस्थाओं की सेवाओं में जिन्हें सरकार द्वारा साहाय्य अनुदान दी जाती है, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिए आरक्षण।	२१४८ का०—५-२-७५	671-672
३५. अनु० जाति एवं अनु० जन-जाति के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण (रिजर्वेशन) प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य से कुछ अन्य विषय सुविधायें।	२५६६६ का०—२३-१२-७४	672-673
३६. सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर नियुक्ति को प्रोन्नति समझा जाना।	१६६२६ का०—४-१०-७४	674
३७. लोक उपक्रमों के अधीन नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण।	१६२६२ का०—२२-८-७४	675-676
३८. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण।	१८१६५ का०—७-१२-७३	676-677
३९. १४ वीं न्यायिक सेवा परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति—अनुसूचित जाति। जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदों का आरक्षण।	१६१०६ का० ३०-१०-७३	678-681
४०. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति में प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े।	१४८७१ का० २२-६-७३	681-687
४१. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को डाक द्वारा नियोजनालय में निबन्धन की सुविधा।	१४८०२ का० २२-६-७३	688
४२. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति संबंधी आंकड़े का संकलन।	१३७३६ का० ५-६-१६७३	689
४३. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों की प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा का स्तर।	४३८७-का० २७-३-७३	690-691
४४. आरक्षित रिक्तियों के संबंध में राज्य विधान मण्डल के अनुसूचित जाति। जनजाति के सदस्य को सूचना देने के संबंध में।	२२८७-का० २१-२-७३	691-692
४५. लोक उपक्रमों के अधीन नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।	२१७४८-का० ६-१२-७२	692-706
४६. १६७१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की दिखाई गयी जनसंख्या के आधार पर सेवाओं में इन जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का पुनरीक्षण।	१२४८३-का० १७-८-७३	707-708

४७. १९७१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की दिखलाई गयी जनसंख्या के आधार पर सेवाओं में इन जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत पुनरीक्षण ।	५३०५-का० १० अप्रैल ७३	708-735
४८. सभी राजपत्रित पदाधिकारी की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामलों में नियुक्ति विभाग की पूर्ण सहमति अपेक्षित ।	२०४४३-का० १३ नवम्बर, १९७२	736
४९. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति में प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े ।	१४८७१-का० २२ सितम्बर १९७२	737
५०. योजना के सामान्य सेक्टर के अन्तर्गत राज्य की पिछड़ी जातियों को समानुपातिक रूप से लाभ पहुंचाने की व्यवस्था ।	विकास आयुक्त पत्र सं० ७८५१-क० वि० ७ सितम्बर, १९७२	741-742
५१. लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र भेजने के पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति अपेक्षित ।	१५५५१-का० २४ अगस्त, १९७२	742-743
५२. नियुक्ति एवं प्रोन्नति के संलेख में विहित अनुपात में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख ।	मंत्रिमंडल सचिवालय परिपत्र सं० ३०६६ ७-८-१९७२	743-744
५३. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अराजपत्रित सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ लिखित परीक्षा में न्यूनतम मापदण्ड का निर्धारण ।	१३९५७-का० ३१ जुलाई, १९७२	744-745
५४. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों को अपनी प्रोन्नति के लिये जो विभागीय परीक्षा पास करनी है उसके स्तर का दूसरों की तुलना में निम्नतर रखा जाना ।	१२५०६-का० १० जुलाई, १९७२	745-746
५५. सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व ।	१२१३३-का० १ जुलाई, १९७३	746-751
५६. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन ।	५१६३-नि० २० मई, १९७२	752-753
५७. लोक सेवा आयोग की सहमति की प्रत्याज्ञा में पदों का भरा जाना ।	७४६३-नि० २२ अप्रैल १९७२ ।	754
५८. सांख्यिक सभाओं में हरिजनों के प्रति समानता का भाव प्रदर्शित करना तथा उन्हें समुचित आदर और सम्मान प्रदान करना ।	७००३ नि० १७ अप्रैल, १९७२ ।	755
५९. सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) से संबंधित रोस्टर ।	४६११ नि० ११ मार्च, १९७२	756-758

	Page
६०. सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विज्ञापन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदों के आरक्षण की शर्तों के संबंध में ।	२५८० नि० १५ फरवरी, १९७२ 759
६१. सभी राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में नियुक्ति विभाग की पूर्ण सहमति अपेक्षित ।	२१०७ नि० ८ फरवरी १९७२ 650
६२. सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) ।	२२२०४ नि० २१ दिसम्बर, १९७१ 761
६३. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों की प्रोन्नति के लिए जो विभागीय परीक्षा पास करनी है, उसका स्तर दूसरों की तुलना में निम्न स्तर रखना ।	२११७९ नि० ७ दिसम्बर, १९७१ 762
६४. सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा २५ वर्ष को २७ वर्ष तक बढ़ाया जाना ।	१५४६३ नि० ४ सितम्बर, १९७१ 763-764
६५. सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) ।	१४४२५ नि० २३ अगस्त, १९७१ 765
६६. मंत्रिमण्डल के लिए संलेख ।	३३५६ नि० ३० जुलाई, १९७१ 766
६७. सरकारी सेवा अभिलेखों में सभी हरिजन एवं आदिवासी सरकारी सेवकों की जाति का उल्लेख करने की प्रक्रिया ।	६६८२ नि० ७ जून, १९७१ 766-767
६८. सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) ।	९२७७ नि० २६ मई, १९७१ 767-768
६९. हरिजनों एवं आदिवासियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण (रिजर्वेशन) प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य से कुछ विशेष सुविधाएं ।	७६८८ नि० ११ मई, ७१ 768-769
७०. पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां अभिलेख करने के संबंध में ।	७११७ नि० २६ अप्रैल, १९७१ 769
७१. सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) की व्यवस्था ।	४६०४ नि० १५ मार्च, १९७१ 770-771
७२. हरिजनों एवं आदिवासियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण (रिजर्वेशन) प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य से कुछ अन्य विशेष सुविधाएं ।	३६१७ नि० २४ फरवरी, १९७१ 771-773

७३. हरिजन एवं आदिवासियों के लिए पदों में आरक्षण (रिजर्वेशन) विहित प्रतिशत पूरा करने की विशेष व्यवस्था।
१४८६ नि० २८ जनवरी, १९७१ 774
७४. सरकारी सेवा अभिक्षेत्रों में सभी हरिजन एवं आदिवासी सरकारी सेवाओं की जाति का उल्लेख करने की प्रक्रिया।
१६१ नि० १४ जनवरी, १९७१ 775-778
७५. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं एवं पदों में सुरक्षण के लिए नियुक्ति विधायक संकल्प संख्या नि-६६०८ दिनांक १३ नवम्बर १९६३ तथा संकल्प संख्या नि० १२८६ दिनांक २१ नवम्बर १९७० में दिए गये आदेश से सम्बन्ध अनुपूरक अनुदेश।
४६९ नि० १२ जनवरी, १९७१ 778-780
७६. हरिजन एवं आदिवासियों के लिए पदों का आरक्षण (रिजर्वेशन) विहित प्रतिशत पूरा करने की विशेष व्यवस्था—समुच्चय, प्रवर्तन, व्यवस्थापन, विभागीय पदोंका से, प्रवर्तन आदि संबंधी अन्य विशेष सुविधायें।
१६८६७ नि० २१ नवम्बर, ७० 780-781
७७. अनुसूचित समितियों तथा पञ्चायत में जाति का उल्लेख नहीं किया जाता।
१४८७७ नि० ३१ अगस्त, १९७० 782
७८. हरिजन एवं आदिवासियों के लिए नौकरियों में सुरक्षित स्थानों की सूचना विधायकों को देने के सम्बन्ध में श्री कुम्हदेव नारायण यादव का तारांकित प्रश्न संख्या—१०।
१४४०६ नि० २५ अगस्त, १९७० 782-783
७९. हरिजन एवं आदिवासियों के लिए श्रेणी-३ के पदों में सुरक्षण—विहित प्रतिशत को पूरा करने की विशेष व्यवस्था।
१३२८३ नि० ६ अगस्त, १९७० 783-786
८०. सीधी भर्ती द्वारा सभी राजपत्रित पदों की नियुक्ति में मजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व नियुक्ति विभाग की सहमति अपेक्षित।
११६१६ नि० १० जुलाई, १९७० 786-788
८१. सुरक्षित रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवारों की बहाली।
१०९२६ नि० ३० जून, १९७०। 789
८२. अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति।
४८७३ नि० २५ सितम्बर १९६७ 790
८३. हरिजन एवं आदिवासियों के लिए नौकरियों में सुरक्षित स्थानों की सूचना विधायकों को देने के सम्बन्ध में।
८४८६ नि० २५ सितम्बर, १९७० 791-792

२४. सुरक्षित स्थानों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की नियुक्ति से सरकारी आदेशों का कार्यान्वयन।

१७७७६ नि० १३ दिसम्बर, १९६६

पृ० सं०

792-793.

२५. Recruitment to State Government vacancies through the agency of Employment Exchange.

8167 dt. 21st June, 1966

793-794

२६. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों का

जाति प्रमाण-पत्र देने का प्रश्न।

१६७७६ नि० ७ दिसम्बर, १९६२

795

२७. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के व्यवस्थापन का सन्धान।

६५११ नि० १८ मई, १९६२

796

२८. निम्न वर्ग अनुसूची १ के लोगों के इस वर्ग में होने का प्रमाण-पत्र दिया जाता।

१३७६१ नि० १३ अक्टूबर, १९६१

796-797

२९. प्रमाण-पत्रों को अधिप्रमाणित कराने से कठिनाई।

१२५१२ नि० ६ अगस्त, १९६०

797-798

३०. इसाई तथा अन्य धर्म से हिन्दू धर्म में धर्म परिवर्तित अनुसूचित जातियों की स्थिति।

१०७६८ नि० २ अगस्त, १९६०

798-802

Part XXVI (B)—Scheduled Castes/Tribes, Fixation of Kalavathi For Promotion.

अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन-जाति के लिए सरकारी सेवाओं में अग्रक्षण-प्रोन्नति के लिये कालावधि का निर्धारण।

सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अग्रक्षण के संदर्भ में कालावधि का निर्धारण :—

१. नियुक्ति विभाग, संगठन एवं पद्धति प्रशासना। खनन एवं सस्तर विभाग। कल्याण विभाग। मस्तिष्काल (राज शाखा) विभाग। जनरल सेवा।

३१६२-११११७१ नि०—

३३३३ दिनांक २२-२-७२

803-804

२. लोक निर्माण विभाग। उद्योग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

५६९३ दिनांक ६-४-७२

805

३. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग। योजना (सांख्यिक एवं मूल्यांकन) विभाग। उत्पाद विभाग। भू-संरक्षण निदेशालय वित्त (अंकेक्षण विभाग) के प्रशासी नियंत्रण के अधीन संवर्ग।

८१६१ का० दिनांक

१३ मई, ७२

806-808

४. सहकारिता विभाग। अम एवं नियोजन विभाग। निवृत्त विभाग। शिक्षा विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

१०७१५ दिनांक १२-६-७२

809-811

		पृष्ठ सं०
६. कानिक विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।	११११६ दि० १६ जून, १९७२ ।	812
६. कालावधि निर्धारण के मामले में कुछ शंका का समाधान ।	१६१०८ दि० १२-१०-१९७२	813
७. निबंधक के पद पर प्रोत्ति के मामले में कालावधि का निर्धारण ।	२२२३४ दिनांक २३-१२-७२ ।	814
८. कालावधि निर्धारण के संबंध में कुछ निदेश ।	१८३०३ का० दि० ८-१२-७३	815
९. योजना (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।	२०७०१ दि० १६ अक्टूबर, ७४	816
१०. जन सम्पर्क विभाग । वन विभाग । गृह (कारा) विभाग । सिंचाई विभाग । उत्पाद विभाग । शिक्षा विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवा।	२०७०२ का० दि० १६-१०-७४	817-820
११. स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवा ।	२३०४७ का० दि० १४-११-७४	821
१२. कालावधि निर्धारण के मामले में कुछ विप्लेयण ।	२४०८ का० दिनांक ८-२-७५	822
१३. निबन्धन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।	८१२० का० दि० ७-५-१९७५	823-824
१४. समाहरणालयों में प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।	१५४८८ का० दि० १९-८-७५	824-825
१५. आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग/कृषि एवं मत्स्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग । खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।	३५८१ का० दि० २६-२-७५	825-826
१६. सिंचाई (नदी बाढी योजना) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।	१११७० का० दि० २७-६-७५	827-828
१७. गृह (आरक्षी) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।	८८२६ दि० ३० अप्रैल, ७६	829
१८. आरक्षी विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।	१२८४३ का० दि० २१-६-७६	830
१९. लोक निर्माण विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा	१६१६ का० दि० १०-८-१९७६	831
२०. बिहार वित्त सेवा के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा	६३११ का० दि० १-६-७७	832
२१. श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा	२३० का० दि० ११-८-७७	833
२२. राष्ट्रीय बचत के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा	३०२ का० दि० ७-९-७७	834

		पृष्ठ सं०
१३. श्रम एवं नियोजन के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा-	३८३ दि० १२-१०-७७	835
२४. श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन-सेवा	४३६ का० दि० ४-११-७७	836
२५. श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा	८० का० दि० १७-२-१९७८	837
२६. शिक्षा विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा	१६४ का० दि० ३-४-७८	839
२७. श्रम एवं नियोजन विभाग के मुकस्मिल कार्यालय के अधीन सेवा	१६५ का० दि० ३-४-७८	840
२८. कालाबधि में अनु० जाति/जनजाति के लिये छूट की व्यवस्था	२८८ का० दि० १६-५-७८	838
२९. कार्मिक विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवा	३३४ का० दिनांक २५-५-७८	841
३०. सहकारिता विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवा	१५८१७ का० दिनांक ९-८-७८	841-842

PART XXVII— Strike— counting of period of

हड़ताल की अवधि की गणना

१. ८ दिसम्बर, १९७२ से १३ जनवरी, १९७३ तक हड़ताल की अवधि की गणना।	१०/परी० १०४४/७४ का०-१०८१ दिनांक ५ जून, १९७४।	842
२. विगत वर्षों की हड़ताल की अवधि का अनुमान्य अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	गृह विभाग (विशेष शाखा) पत्र सं० एफ०/क०स०-०१/७६-११३३ सं० दिनांक १९-२-१९७६।	843
३. सरकारी सेवकों की गैर-वित्तीय मार्गों के सम्बन्ध में मंत्रि-परिषद की स्थाई समिति की अनुमति पर सरकारी निर्णय।	१०/परी०-१०२२/७५ का०-६०७ दिनांक ८ जून, १९७६।	844-846

XXVIII—Submission of petitions, memorials, representations etc.

1. Submission of memorials, representations etc, to higher authorities.	III/R1-2017/57A-3213 Dated 21st March, 1957.	846-847
2. Instructions for the submission, receipt and trans- mission of petitions addressed to the Governor & Secretary to Government etc.	III/R1-109/57A-252 dt. 8th January, 60.	848-850
३. उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन, अभिवेदन इत्यादि देने का तरीका।	संख्या ५३०२ दिनांक २४-४-१९६१।	851
४. निजी व्यथाओं के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जातीय मंत्रियों से साक्षात्कार के लिए प्रक्रिया।	३/एम०१-५०३/६८ नि ३४६९ दिनांक ३ मार्च, १९६८।	852-853

३. सरकारी सेवकों द्वारा मंत्रियों के माध्यम से वेतन, स्थानांतरण, प्रोन्नति आदि से सम्बन्धित निजी मामलों को उठाने का प्रयत्न। ३/आर १-१०३३/७१
नि० १६१००
दिनांक ६-११-१९७१। 854-855
६. निजी मामलों के निम्न सरकारी सेवकों द्वारा उच्चाधिकारियों को अभ्यावेदन, अभिवेदन देने का तरीका। पत्र संख्या २१६७६ नि०
दिनांक १४ दिसम्बर, १९७१। 856

Part XXIX—Temporary posts and employees.

अस्थायी पदों एवं कर्मचारियों का स्थायीकरण

१. जिन अस्थायी कर्मचारियों की लगातार सेवा तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनका स्थायीकरण। ९/नि० १-१०८/७३-४५० का०
दिनांक २ जून, १९७३। 856 A
२. स्थायी स्थापना में तीन वर्षों से अधिक सेवारत कर्मचारियों को स्थाई करने सम्बन्धी कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ४५० दिनांक २-६-१९७३ का स्पष्टीकरण। ६/नि० १-१०८/७३ का०-५२०
दिनांक ५ अप्रैल, १९७४। 856 B
३. स्थाई स्थापना में तीन वर्षों से अधिक सेवारत कर्मचारियों को स्थायी करने सम्बन्धी कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ४५० दिनांक २ जून, १९७३ का स्पष्टीकरण। ६/नि० १-१०८/७३-७३५ का०
दिनांक ४ मई, १९७४। 856 C
४. तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी पदों के स्थायीकरण के संबंध में। १०/परी० १-१४०१/७४-१४०८ का०
दिनांक १३ जून, १९७४। 856 D
५. स्थाई स्थापना में तीन वर्षों से अधिक सेवारत कर्मचारियों को स्थाई करने सम्बन्धी कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ४५०, दिनांक २ जून, १९७३ के सम्बन्ध में। १०/परी० १००१/७६ का०-२४६
दिनांक २३ फरवरी, १९७६। 856 E

Part XXX—Transfer, Posting Etc.

1. Posting of officers in their Home Districts. 1/PI-105/52A-8375 dt. 9th
September, 1952. 857
2. Circular regarding keeping of officers of the General Administration too long in the same post or Department. 1/PI-102/68A-1464 dt. 8th
Dec. 1958. 857 A
3. यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो उनका यथासंभव एक ही साथ पदस्थापन। १/पी१-१०१७७/६७ नि०-१५०५४
दिनांक ५ अक्टूबर, १९६७। 857 B
4. विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का प्रमण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में। १/पी१-५०२३/६८ नि०-१८४४
दिनांक ३१ जनवरी, १९७०। 857 C
5. पदाधिकारियों का स्थानान्तरण नीति निर्धारण के सम्बन्ध में। १/पी१-२०१००/७० नि०-१७२१७
दिनांक ३-१०-१९७०। 858-859
6. पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण। पत्र संख्या १३८७७ नि० दिनांक
१६ अगस्त, १९७१। 860-865

		Page
7. प्रमण्डलीय आयुक्तों द्वारा अवर उप समाह्वतियों को स्थानान्तरण करने की शक्ति।	पत्र संख्या नि०-१४६३० दिनांक २८ अगस्त, १९७१।	866
8. प्रमण्डलीय आयुक्तों द्वारा अवर उप समाह्वतियों का स्थानान्तरण करने की शक्ति।	१/पी१-१००२/७१ का० १२०६६ दिनांक १-६-७२।	867-869
9. बिहार राज्य भू-मापक एवं परिमापक संघ के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।	६वि०-१-१०३२/७३-६८६ दिनांक ६-७-१९७३।	870
10. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की शाखाओं के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण।	१०/परी०-९२८/७३-१२५४ दिनांक ३ दिसम्बर, १९७३।	871-872
11. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों का उनके कार्यकाल की अवधि में स्थानान्तरण।	१०/परी०-६२७/७३ का-७१३ दिनांक १-मई, १९७४।	872-873
12. कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण (भा० प्र० से०/बिहार असेनिक सेवा) के पदाधिकारियों का पदस्थापन करने की प्रक्रिया तथा स्थानान्तरण आदेशों का कार्यान्वयन।	१/प१-३०१५७/७५ का०-२०६८३ दिनांक २० नवम्बर, १९७५।	873-875
13. बिहार राज्य अराजपत्रित महासंघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का उनके कार्यविधि में स्थानान्तरण संबंधी नीति।	१०/परी० १-१०८५/७४ का०-२७६५ दिनांक २५ नवम्बर, १९७५।	876
14. कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण (भा० प्रा० से०/बिहार असेनिक सेवा) के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने की प्रक्रिया।	१/प१-३०२४४/७५ का०-११२३१ दिनांक ३१ मई, १९७६।	877
15. चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक।	३/आर १-१०१०/७६ का०-४८१ दिनांक ११ जनवरी, १९७७।	878
16. लोक सभा चुनाव १९७७-पदाधिकारियों का स्थानान्तरण और पदस्थापन।	१/प१-१०१/७७ का०-१३८० दिनांक २५ जनवरी, १९७७।	879
17. सरकारी सेवकों के पदस्थापन और स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति एवं प्रक्रिया।	३/आर-१-१०६/७७ का०-१८३०१ दिनांक २६ सितम्बर, १९७७।	880-882

Part XXXI—Verification of character and antecedents

चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन

१. चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन के संबंध में।	७/सी आर-२/२०४/७७ का०-२१२१७ दिनांक २६ नवम्बर, १९७७।	883
२. भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु अभ्याषियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।	७/सी आर-२०२/७८ का०-५१२० दिनांक ८ मार्च, १९७८।	884